

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर

विभागीय पत्रांक 1258 दिनांक 13.08.2016 के निदेशानुसार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2016 के आलोक में संशोधित विषयवार / कोटिवार अद्यतन कुल रिक्ति का विवरण।

जिला का नाम :- बक्सर

नियोजन इकाई का नाम :- जिला परिषद्, बक्सर

क्रमांक	विषय का नाम	पूर्व के अवशेष रिक्ति	स्वीकृत पदों की संख्या	कुल पद	अनारक्षित	अनुरूधित जाति	अनुसूचित जन जाति	अति पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	कोटियों का योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	हिन्दी	28	24	52	15	12	1	16	6	2	52	
2	अंग्रेजी	41	22	63	24	14	1	11	10	3	63	
3	संस्कृत	21	7	28	4	6	1	9	6	2	28	
4	उर्दू	10	10	20	10	4	0	2	3	1	20	
5	गणित	12	25	37	12	11	1	7	3	3	37	
6	विज्ञान	13	12	25	6	9	1	7	1	1	25	
7	सामाजिक विज्ञान	4	69	73	35	13	2	12	8	3	73	
8	शारीरिक शिक्षा	1	11	12	7	2	0	1	1	1	12	
9	गृह विज्ञान	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
10	संगीत	26	0	26	13	4	0	5	3	1	26	
11	नृत्य	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
12	ललित कला	2	0	2	1	0	0	1	0	0	2	
कुल योग		159	181	340	129	75	7	71	41	17	340	

नोट :- 1. निदेशक मा0 शि0 बिहार के ज्ञापांक 1258 दिनांक 13.08.2016 के आलोक में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/ पोती/ नाती/ नतीनी के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

2. जिस नियोजन समव्यवहार में रोस्टर बिन्दु 17, 50 एवं 84 निहित हो उसमें कोटिवार दिव्यांग अभ्यर्थियों का नियोजन होगा।

D. P. O. (ESTABLISHMENT)  
BUXAR

D. E. O.  
BUXAR

जिला शिक्षा पदाधिकारी  
बक्सर  
20/08/16  
राज्य शिक्षा उप निदेशक  
बिहार  
PATNA



कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर

विभागीय पत्रांक 1258 दिनांक 13.08.2016 के निदेशानुसार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2016 के आलोक में संशोधित विषयवार / कोटिवार अद्यतन कुल रिक्ति का विवरण।

जिला का नाम :- बक्सर								नियोजन इकाई का नाम :- नगर परिषद, बक्सर				
क्रमांक	विषय का नाम	पूर्व के अवशेष रिक्ति	नये स्वीकृत पदों की संख्या	कुल पद	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अति पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	कोटियों का योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	हिन्दी	1	3	4	2	0	0	2	0	0	4	
2	अंग्रेजी	3	1	4	1	1	0	1	1	0	4	
3	संस्कृत	2	4	6	2	1	0	2	1	0	6	
4	उर्दू	1	1	2	1	1	0	0	0	0	2	
5	गणित	0	7	7	3	1	0	1	1	1	7	
6	विज्ञान	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	
7	सामाजिक विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	शारीरिक शिक्षा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	गृह विज्ञान	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
10	संगीत	4	0	4	2	1	0	1	0	0	4	
11	नृत्य	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
12	ललित कला	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
कुल योग		15	16	31	14	6	0	7	3	1	31	

- नोट :- 1. निदेशक मा 10 शि 10 बिहार के ज्ञापांक 1258 दिनांक 13.08.2016 के आलोक में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/ पोती/ नन्दी/ नन्दीनी के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।  
2. जिस नियोजन समव्यवहारा में रोस्टर बिन्दु 17, 50 एवं 84 निहित हो उसमें कोटिवार दिव्यांग अभ्यर्थियों का नियोजन होगा।

D. P. O. (ESTABLISHMENT) BUXAR

D. E. O. BUXAR

क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक  
बक्सर



कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर

विभागीय पत्रांक 1258 दिनांक 13.08.2016 के निदेशानुसार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2016 के आलोक में संशोधित विषयवार / कोटिवार अद्यतन कुल रिक्ति का विवरण।

जिला का नाम :- बक्सर

नियोजन इकाई का नाम :- नगर परिषद्, डुमराँव।

क्रमांक	विषय का नाम	पूर्व के अवशेष रिक्ति	नये स्वीकृत पदों की संख्या	कुल पद	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अति पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	कोटियों का योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	हिन्दी	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
2	अंग्रेजी	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	
3	संस्कृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	उर्दू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	गणित	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	
6	विज्ञान	3	0	3	1	1	0	1	0	0	3	
7	सामाजिक विज्ञान	0	6	6	3	1	0	1	1	0	6	
8	शारीरिक शिक्षा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	गृह विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	संगीत	1	1	2	1	0	0	1	0	0	2	
11	नृत्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	ललित कला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल योग		6	8	14	6	3	0	4	1	0	14	

नोट :- 1. निदेशक मा0 शि0 बिहार के ज्ञापांक 1258 दिनांक 13.08.2016 के आलोक में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत शैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/ पोती/ नाती/ नतीनी के लिए 2 प्रतिशत शैतिज आरक्षण देय होगा।

2. जिस नियोजन समव्यवहार में रोस्टर बिन्दु 17, 50 एवं 84 निहित हो उसमें कोटिवार दिव्यांग अभ्यर्थियों का नियोजन होगा।

D. P. O. (ESTABLISHMENT)

BUXAR

D. E. O.

BUXAR

जिला शिक्षा पदाधिकारी  
बक्सर  
20.08.2016